

Annexure-IV

अनुबन्ध-4

क्रमांक 36/114/93-5 जी. सी.-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- (1) हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।
- (2) रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़।
- (3) आयुक्त अम्बाला/हिसार, गुड़गांव/रोहतक मण्डल।
- (4) हरियाणा सरकार के सभी उपायुक्त/उपमण्डल अधिकारी।

दिनांक 13.12.1993

विषय :- सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान नीति के अन्तर्गत नौकरी तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने बारे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपको सूचित करूँ कि इस मामले में पुनः विचारोपरान्त सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/21/88-6 जी. एस.-II, दिनांक 3-11-88 के पैरा-1 में हरियाणा सरकार के मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा सम्बन्धित मृतक कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर-अन्दर अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्कीम के तहत नियुक्ति देने हेतु अपेक्षित प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजने हेतु लगाई शर्त को वापिस ले लिया जाए और सरकार के परिपत्र क्रमांक 35/17/90-5 जी. एस.-II, दिनांक 27-3-91 द्वारा जारी की गई हिदायतों को भी वापिस ले लिया जाए। तदनुसार सरकार के उपरोक्त बणित पत्र दिनांक 30-11-81 के पैरा-1 में मृतक कर्मचारी के परिवार द्वारा मृतक कर्मचारी की मृत्यु से 3 वर्ष के अन्दर-अन्दर अनुग्रहपूर्वक अनुदान स्कीम के तहत नियुक्ति देने हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने की शर्त को वापिस लिया जाता है और इस सम्बन्ध में जो हिदायतें सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 27-3-91 द्वारा जारी की गई थी वे भी वापिस ली जाती हैं। सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/21/88-6 जी. एस.-II, दिनांक 3-11-88 के पैरा-2 में मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को श्रेणी-II या उसके ऊपर के पदों पर लगाने हेतु जो व्यवस्था की गई है वह यथावत लागू रहेगी।

2. उपरोक्त बणित स्थिति के समक्ष आपसे अनुरोध है कि इस पत्र द्वारा जारी की गई हिदायतें आपके अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में दृढ़ता से पालन करने हेतु कृपया ला दी जाए और उनको निदेश दिए जायें कि सभी ऐसे मामलों में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई सभी हिदायतों की दृढ़ता से पालना करते हुए भविष्य में अपेक्षित प्रस्ताव, निर्धारित प्रोफोर्मा में, पूर्ण सूचना देते हुए एवं रिक्ति सहित सरकार को यथा शीघ्र भेजा जाए और यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जाए कि जो प्रस्ताव आपके विभाग द्वारा सरकार को भेजा जाए वह स्पष्ट हो और भली प्रकार से सारे डाक्यूमेंट्स अटैस्ट किये गये हों। इसके अतिरिक्त प्रोफोर्मा "ग" के सभी कालमों में स्पष्ट रूप से सूचना दी जाए और प्रोफोर्मा "ग" के नीचे विभागाध्यक्ष या उस अधिकारी जिसकी ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हों द्वारा ही केवल हस्ताक्षर किए जाया करें और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे मामलों में जो सूचना विभागाध्यक्ष द्वारा कारखाने/डॉ. लैटर में दी जाती है वह प्रोफोर्मा "ग" में पूर्ण रूप से मेल खाती हों।